उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-52/2016/364/22-4-2016-48(67)/96

लखनऊ : दिनांक- 04 मई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

निर्माणाधीन जिला कारागार, अम्बेडकरनगर के निर्माण कार्य की प्रारम्भिक जॉच उप महानिरीक्षक कारागार मुख्यालय, लखनऊ से कराई गयी, जिसकी जॉच आख्या महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-7886/निर्माण, दिनांक 15.03.2016 (प्रति संलग्न) के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई।

2- उप महानिरीक्षक कारागार मुख्यालय लखनऊ ने अपनी जॉच आख्या में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न बताते हुए कतिपय अन्य कमियों का उल्लेख किया है। उप महानिरीक्षक कारागार मुख्यालय लखनऊ की जॉच आख्या के परिप्रेक्ष्य में निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जॉच हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

1-	जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर	अध्यक्ष
2-	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद क्षेत्र द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
3-	उप महानिरीक्षक कारागार, फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद	सदस्य

3- उक्त समिति निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जॉच कर अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायेगी। समिति को जॉच के समय अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

एस0के0 रघुवंशी

सचिव।

संख्या-52/2016/364(1)/22-4-2016-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

3- मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद।

4- उप महानिरीक्षक कारागार, फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in